तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रामफूल बनाम रजन्ती देवी** **316/17**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.10.17	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार के निर्णय दिनांक 12.09.2011 के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई जबकि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (1) के तहत पारित होने के कारण हस्तगत अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नही होने के कारण अपील पर अग्रिम कार्यवाही संभव नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नही होने के कारण अधिवक्ता अपीलान्ट को अपील वापस लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा न्यायालय हाजा की पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(राजेश्वर सिंह)** संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	